

1069

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6)(1), 6(3) के अन्तर्गत (प्रपत्र-1)

- 1- आवेदक का नाम :-
- 2- पूरा पता/ई-मेल/फैक्स, जिस पर जानकारी प्रेषित किया जाना है:-
- 3- दूरभाष क्रमांक :-
- 4- आवेदक देने का दिनांक:-
- 5- कार्यालय का नाम :-
- 6- चाही गई जानकारी का विवरण:-

20-07-2022

सैन्ट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन आफीसर, हैड ऑफीस, नई दिल्ली (CPIO)

- (1) माननीय श्री अशोक जी गहलोत, मुख्य मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर, को पिछले तीन वर्षों से कहां कहां से फण्ड मिल रहा है तथा इस फण्ड की राशि का कहां कहां पर उपयोग किया जा रहा है।
- (2) माननीय श्री निहालचन्द मेघवाल सांसद, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र श्रीगंगानगर, को पिछले तीन वर्षों से कहां कहां से फण्ड मिल रहा है तथा इस फण्ड की राशि का कहां कहां पर उपयोग किया जा रहा है।
- (3) माननीय श्री विनोद चौधरी, विधायक -विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हनुमानगढ़, को पिछले तीन वर्षों से कहां कहां से फण्ड मिल रहा है तथा इस फण्ड की राशि का कहां कहां पर उपयोग किया जा रहा है।
- (4) उपरोक्त अधिकारियों द्वारा क्या कोई भ्रष्टाचार या गैरकानूनी कार्य किया गया है अगर हां तो वह क्या है और उसकी शिकायत किस विभाग में की जा सकती है।
- 7- क्या चाहते हैं/नकल/निरीक्षण/रिकॉर्ड का :-चाही गयी सम्पूर्ण जानकारी+रिकॉर्ड (पिछले तीन वर्षों का)

निरीक्षण/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना

- 8- आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीस 10 रुपये नकद स्टाम्प (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं)

रसीद क्रमांक/आई पी ओ. रुपये 10/- पोस्टल ऑर्डर नम्बर

- 9- क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं :- नहीं

59F288062
59F288083

दिनांक 20/7/22 का संलग्न है।

कृपया सूचना प्रार्थी के उपर वर्णित पते पर प्रेषित करें

संलग्न:-

1. 10 रुपये के दो पोस्टल ऑर्डर

नोट:-यदि लोक सूचना अधिकारी आप न होकर अन्यत्र हैं तो आप नियमानुसार धारा 6 (3) के अन्तर्गत उक्त आवेदन पत्र सम्बन्धित अधिकारी को अपने स्तर पर भेजकर प्रार्थी/आवेदक को यथाशीघ्र इससे अवगत कराने की कृपा करें।
पावती-

- 1- आवेदन प्राप्त होने का दिनांक.....

यदि आवेदन न मिले तो उपस्थित होने का दिनांक